



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122024-259515
CG-DL-E-19122024-259515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5061]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2024/अग्रहायण 27, 1946

No. 5061]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024/AGRAHAYANA 27, 1946

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5469(अ).— केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में अधिसूचना का.आ. 4595 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2021, जो पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ समिति (सीपीसीएसईए) के गठन को अधिसूचित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, पैरा सं. 2 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“समिति का कार्यकाल उत्तरवर्ती समिति के गठन तक वैध रहेगा।”

[फा. सं. V-11011(13)/9/2024-CPCSEA-DADF-Part(1)]

डॉ. अभिजीत मित्रा, पशुपालन आयुक्त

टिप्पण: वर्तमान समिति का पुनर्गठन भारत के राजपत्र, असाधारण में क्रमांक का.आ. 4595 (अ) तारीख 2 नवंबर, 2021 द्वारा किया गया जिसे अधिसूचना संख्या का.आ. 3502(ई) दिनांक 16 अगस्त, 2024 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Animal Husbandry and Dairying)****NOTIFICATION**New Delhi, the 16th December, 2024

S.O. 5469(E).—In exercise of the powers conferred by section 15(1) of the Prevention of Cruelty of Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying Number S.O 4595 (E) dated 2nd November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) notifying the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), namely:-

2. In the said notification, the para No. 2 shall be replaced as under:-

“The term of the Committee shall be valid till the constitution of the subsequent Committee.”

[F.No. V-11011(13)/9/2024-CPCSEA-DADF-Part(1)]

Dr. ABHIJIT MITRA, Animal Husbandry Commissioner

Note: The present Committee has been reconstituted and published in the Gazette of India, Extraordinary vide S.O 4595 (E) dated 2nd November, 2021 which was amended vide notification number S.O. 3502 (E) dated 16th August, 2024.